

# फर्द अहकाम

(नियम 20)

अज अदालत-उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला शाहपुरा

अमरनाथ पिता लादूनाथ जोगी निवासी आमली वगैरह

बनाम

भैरूलाल पिता जगरूप गुर्जर निवासी चावंडिया वगैरह

किर्रम मुकदमा प्रा. पत्र 111,128 एल.आर.ए.

मुकदमा नंबर 39 /2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तारीख में जारी हुये
03-04-24	<p>प्रार्थना पत्र सिगे से बाद जांच रिपोर्ट पेश हुआ   प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया   प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते की भूमि ग्राम आमली प.ह. जस्सु जी का खेड़ा आराजी सं. 269, 865/262 कुल कित्ता 02 रकबा 0.7931 हेक्टेयर भूमि स्थित है   अप्रार्थीगण उक्त वर्णित कृषि आराजी के पड़ोसी है   अप्रार्थीगण से सीमा विवाद होने के कारण पत्थरगढ़ी करवाये जाने की आवश्यकता है, अतः उक्त आराजी की पत्थरगढ़ी के आदेश प्रदान किये जावें   प्रार्थना पत्र की ताईद में प्रार्थी का शपथ पत्र संलग्न है  </p> <p>मैंने पत्रावली का अवलोकन किया सुयोग्य अभिभाषक/प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी   पत्रावली के साथ संलग्न नकल जमाबंदी संवत 2076 से 2079 तक के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी पत्थरगढ़ी हेतु आवेदन की गई भूमि का खातेदार है   प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के साथ सीमा विवाद होना बताया है, अतः न्यायालय पत्थरगढ़ी किया जाना उचित समझता है   ग्राम आमली प.ह. जस्सु जी का खेड़ा आराजी सं. 269, 865/262 कुल कित्ता 02 रकबा 0.7931 हेक्टेयर भूमि की उभयपक्षों की उपस्थिति में पत्थरगढ़ी करने हेतु भू- अभिलेख निरीक्षक धामणीया को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है   कमीश्नर फीस 500 रुपये तय किए जाते हैं जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 100 रुपये राजकोष में जमा करावे   पत्थरगढ़ी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावें   पालना हेतु तहसीलदार जहाजपुर को लिखा जावें   तहसीलदार मांडलगढ़ को प्रतिवादीगणों को जरिये नोटिस / समन भेजकर उभयपक्ष की उपस्थिति में पत्थरगढ़ी के आदेश दिये जाते हैं   पालना रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत करें  </p> <p>आदेश आज दिनांक 03/04/2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया  </p>	

उपखण्ड अधिकारी  
जहाजपुर (शाहपुरा)

# कार्यालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला शाहपुरा

क्रमांक/रीडर/2024/39/2024

दिनांक- 03/04/2024

निमित्त-

तहसीलदार मांडलगढ़

विषय- प्र.सं. 39 / 2024 अनवान अमरनाथ पिता लादूनाथ जोगी निवासी आमली, लक्ष्मणनाथ पिता लादूनाथ जोगी निवासी आमली बनाम भैरूलाल पिता जगरूप गुर्जर निवासी चावंडिया, महावीर पिता जमनालाल पारीक निवासी पारीकपुरा आमली, राजेंद्र कुमार पिता केसरलाल पारीक निवासी पारीकपुरा आमली, प्रवीण पिता पिता बिरदीचंद जैन निवासी जस्सुजी का खेड़ा, राजेंद्र पिता बिरदीचंद जैन निवासी जस्सुजी का खेड़ा, कंचन पुत्री लादूनाथ जोगी निवासी आमली, कमलादेवी पत्नी लादूनाथ जोगी निवासी आमली की पत्थरगढ़ी की पालना करने बाबत ।

उपरोक्त विषयांकित अनवान के प्रकरण में ग्राम आमली प.ह. जस्सु जी का खेड़ा आराजी सं. 269, 865/262 कुल किता 02 रकबा 0.7931 हेक्टेयर भूमि की उभयपक्षों की उपस्थिति में पत्थरगढ़ी करने हेतु भू- अभिलेख निरीक्षक धामणीया को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। कमीशनर फीस 500 रुपये तय किए जाते हैं जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 100 रुपये राजकोष में जमा करावे । पत्थरगढ़ी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावे। तहसीलदार मांडलगढ़ को प्रतिवादीगणों को जरिये नोटिस / समन भेजकर उभयपक्ष की उपस्थिति में पत्थरगढ़ी के आदेश दिये जाते हैं । पालना रिपोर्ट 15 योम में पेश करे।

उपखण्ड अधिकारी

जहाजपुर जिला शाहपुरा